भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1942

31, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

झंझावात जल निकासी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

†1942. **श्री बस्तीपति नागराजूः**
श्री मोहिब्बुल्लाहः
श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा झंझावात जल निकासी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अपनी योजनाओं के अंतर्गत सहायताप्राप्त झंझावात जल निकासी परियोजनाओं की कुल संख्या संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, साथ ही आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत झंझावात जल निकासी परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है, साथ ही आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(घ) झंझावात जल निकासी परियोजनाओं के लिए आवंटित और जारी की गई निधि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अपनी योजनाओं के अंतर्गत निर्मित झंझावात जल निकासी की गुणवत्ता संबंधी कोई संपरीक्षा की है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या निष्कर्ष हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) के अनुसार, जल निकासी और तटबंधों सहित जल राज्य के विषय हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के

माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, जिसके तहत वर्षा जल निकासी, जिसमें नालियों/वर्षा जल नालियों का निर्माण और सुधार शामिल है, एक स्वीकार्य घटक था।

अमृत के अंतर्गत धनराशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित/जारी की गई थी, क्षेत्र-वार नहीं। अमृत के अंतर्गत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत 3016.82 करोड़ रुपए की 838 वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। अमृत के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या, परियोजना लागत और वर्षा जल निकासी परियोजनाओं की भौतिक स्थिति का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक । में दिया गया है।

अमृत के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य ने 342.72 करोड़ रुपए की लागत वाली 14 जल निकासी परियोजनाएँ शुरू की हैं। राज्य द्वारा अमृत पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, 198.75 करोड़ रुपए के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। ज़िले-वार विवरण अनुलग्नक ॥ में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अमृत के अंतर्गत कोई भी जल निकासी परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ङ) और (च): मिशन दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। आईआरएमए रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। साथ ही, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से समय-समय पर प्रगति की समीक्षा और निगरानी की जाती है। परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक

समर्पित अमृत ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। इसके अलावा, नीति आयोग ने जून 2020 में शहरी परिवर्तन क्षेत्र में अमृत सहित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन पर एक समीक्षा की थी। इस अध्ययन में कवरेज, सार्वभौमिक डिज़ाइन का समावेश, महिलाओं को मुख्यधारा में लाने, गरीब-समर्थक डिज़ाइन, प्रवासन और लाभार्थी लक्ष्यीकरण जैसे प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन किया गया। इस योजना के तहत कार्य-निष्पादन संतोषजनक बताया गया क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबों और वंचितों सहित सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

*****

"झंझावात जल निकासी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता " के संबंध में दिनांक 31.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1942 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

अमृत के अंतर्गत वर्षा जल निकासी परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	भौतिक पूर्णता (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8	4.02	4.02
2	आंध्र प्रदेश	14	342.72	198.76
3	अरुणाचल प्रदेश	3	40.37	40.37
4	बिहार	3	237.99	207.82
5	दिल्ली	3	5.38	5.38
6	गुजरात	36	224.49	224.03
7	हरियाणा	19	452.37	442.04
8	हिमाचल प्रदेश	10	31.91	31.91
9	जम्मू और कश्मीर	36	184.73	184.73
10	कर्नाटक	83	238.06	238.06
11	केरल	535	363.40	357.44
12	मध्य प्रदेश	23	248.32	248.32
13	महाराष्ट्र	1	94.06	94.06
14	मिजोरम	3	57.20	57.20
15	नागालैंड	8	79.75	78.40
16	राजस्थान	6	63.07	63.07
17	सिक्किम	25	14.91	14.91
18	उत्तराखंड	15	32.57	32.57
19	पश्चिम बंगाल	7	301.50	301.50
	कुल योग	838	3016.82	2824.59

"झंझावात जल निकासी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता " के संबंध में दिनांक 31.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1942 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

आंध्र प्रदेश में अमृत के अंतर्गत वर्षा जल निकासी परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	**ज़िला**	**परियोजनाओं की संख्या**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)**	**भौतिक पूर्णता (करोड़ रुपए में)**
1	अनंतपुर	2	21.37	3.28
2	पूर्वी गोदावरी	4	169.29	134.60
3	कृष्णा	2	19.02	13.71
4	नेल्लोर	2	82.02	29.15
5	श्रीकाकुलम	2	38.83	5.82
6	चित्तौड़	2	12.19	12.19
	कुल	14	342.72	198.75